न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–40/2016 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. वेदराम पुत्र श्री किशनलाल पौत्र आशा जाति जाटव निवासी ग्राम सहाडी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. किशनलाल पुत्र आशा जाति जाटव निवासी ग्राम सहाडी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।
2. उप पंजीयक भनोखर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

..... रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. श्री दशरथ सिंह नरूका अभिभाषक अपीलांट

::: निर्णय ::: **दिनांक :–24.10.2019**

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कठूमर के निर्णय दिनांक 27.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने एक प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नं0 677, 678 का 2/15, 432, 432/1076 ग्राम गुण्डबास तहसील कठूमर में स्थित है। किशनलाल, सायल का पिता व आशा सायल का दादा है। उपरोक्त विवादित आराजी सायल के दादा आशा की पैदा कर्दा आराजी होने से पैतृक आराजी है।सायल के दादा आशा की मौत हो जाने व मुताबिक हाल जमाबन्दी हिस्सा सायल के पिता किशनलाल को विरासत में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार उक्त आराजी पैतृक है।पैतृक आराजी में मृतक के पुत्र–पुत्रियों को जन्म से ही यानि बाई बर्थ हक व अधिकार पैदा हो जाते हैं। कानूनन विवादित आराजी में सायल को जन्म से ही हक व अधिकार पैदा हो चुके हैं। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी में खसरा नं0 677, 678 में सायल का 2/15 हिस्सा, गैरसायल संख्या 01 का 2/15 हिस्सा, खसरा नं0 432, 432/1076 में सायल का 1/10 हिस्सा व गैरसायल सं0 01 का 1/10 हिस्सा है। सायल विवादित आराजी में अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा मौके पर भी कब्जे काश्त में है।

02

उपरोक्त विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सायल के पिता किशनलाल की खातेदारी में विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज है जिस कारण सायल के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। तमाम साबिक रेवेन्यू रेकॉर्ड में सायल के दादा आशा के नाम की खातेदारी में इन्द्राज दर्ज है। सायल द्वारा गैरसायल से अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम कराने बाबत कहा तो गैरसायल संख्या 01 ने साफ इन्कार कर दिया। गैरसायल संख्या 01 व 02 आपस में सायल के खिलाफ मिले हुये हैं। गैरसायल संख्या 01 ने सायल को धमकी दी है कि वह विवादित आराजी पर सायल के हिस्से पर शांतिपूर्वक काश्त नही करने देगा, जबरन कब्जा करेगा या फिर गैरसायल सं0 02 से मिलकर विवादित आराजी को दीगर लोगों का रहन, बय, हिवा आदि द्वारा मुतकिल कर कब्जा करा देगा। जबकि गैरसायल को ऐसा करने का अधिकार नही है। यदि गैरसायलान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायल को अपार हानि, क्षति व असुविधा होगी जिसकी पूर्ति पैसों से संभव नही है। प्रथम दृष्टया केस सुविधा संतुलन एव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में साबित है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता–फैसला पाबन्द किया जावे।

विद्वान तहत अदालत द्वारा प्रार्थना पत्र सायल दर्ज पंजिका की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल सं0 01 ने हाजिर अदालत होकर अपना जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया और इस्तदुआ की कि प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमाया जावे।

सायल ने प्रार्थना पत्र के साथ हाल जमाबंदी संवत 2071 से 2074, जमाबंदी संवत 2043, जमाबंदी संवत 2042 वाके ग्राम गुण्डबास की छायाप्रति पेश की जो शामिल पत्रावली है।

विद्धान अधीनस्थ न्यायालय दोनों पक्षों की बहस सुनकर सायल का प्रार्थना पत्र दि0 27.06.2016 को खारिज कर दिया जिस निर्णय दिनांक 27.06.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अधिवक्ता अपीलांट की ओर से श्री दशरथ सिंह नरूका ने उपस्थित होकर एक पक्षीय बहस करनी चाही। वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया तथा दावे के तथ्यों का हवाला दिया । साथ ही विवादित आराजी का विवरण दिया । विवादित आराजी ग्राम गुण्डबास में स्थित है । अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी रेस्पो0 के द्वारा तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत किये गये जबाब प्रार्थना पत्र में भी यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति में जन्म से ही मिन प्रार्थी अपीलांट का हक व हिस्सा निहित है। रेस्पो0 एक बुजुर्ग है जो अपने छोटे पुत्र रामचरण जो शराबी है, के बहकावे में है एवं अन्य लोगों के बहकावे में आकर विवादित आराजी का बेचान करने पर उतारू है जबकि अप्रार्थी रेस्पो0 को पैतृक आराजी को बेचान करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नही है।अप्रार्थी रेस्पो0 संख्या 01 द्वारा पूर्व में भी आराजी का विक्रय किया और रेस्पो0 पुनः आराजी का विक्रय करना चाहता है अगर इसी तरह बेचान करता रहा तो अपीलांट के लिये जीविकोपार्जन के लिये कोई साधन नही बचेगा। जिससे मिन प्रार्थी अपीलांट को नापूर्ति होने वाली क्षति कारित होना बखूबी

BL

साबित है। वकील अपीलांट ने इस्तदुआ की कि रेस्पो0 को पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजीयात को रहन मुन्तकिल नही करे। इस संदर्भ में उन्होंने आर.आर.डी जून 2005 पेज 349 दृष्टांत पेश किया।

हमने अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय के आदेश दि0 27.06.2016 का अवलोकन किया । प्रस्तुत कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

प्रकरण में पिता(किशनलाल) व पुत्र (वेदराम) के मध्य विवाद है। वेदराम ने पिता की भूमि को हस्तान्तरण नही करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। कानूनी दृष्टांत आर.आर.डी जून 2005 पेज 349 में प्रतिपादित किया गया है कि एक हिन्दु पुत्र अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में अधिकार रखता है तथा विभाजन करा सकता है। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रायोजन विवाद की विषयवस्तु को अधिकारों के संबंधों में निर्णय किये बिना, वर्तमान स्थिति में सुरक्षित रखना है तथा विवादित भूमि पर आगे होने वाली किसी संभावित क्षति को रोकना है जिससे विवाद और नही बढे।

उक्त दृष्टांत के प्रकाश में हमारा मत है कि विवादित भूमि के विक्रय, रहन के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो विवाद और आगे बढेगा। अतः इस प्रकरण की समग्र परिस्थितियों को देखते हुये हम यह न्यायोचित समझते हैं कि विवादित भूमि को दावे के निर्णय तक हस्तान्तरण नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जावे।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.06.2016 निरस्त किया जाता है। प्रतिवादी किशनलाल को इस सीमा तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह दावे के निर्णय तक संपूर्ण विवादित भूमि का विक्रय, हस्तान्तरण व रहन न करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24.10.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर